अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग

क्रमाकःपं034(1)चिस्वा/2/17

जयपुर,दिनांकः– 20/6/17

परिपत्र

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन अवमानना प्रकरणों/माननीय न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में जवाब पेश नहीं होने, विलम्ब से अपील प्रस्ताव, प्रभावी मॉनीटीरिंग/Lites प्रविष्टियों के संबंध में मुख्य सचिव महोदय/माननीय न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग में वांछित सूचना समय पर भेजने/प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु निम्न दिशा निर्देश दिये जाते हैः–

1– विधि विभाग को अपील/नो अपील के प्रकरण जो विलम्ब से भेजे है उनमें विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारण कर सीसीए नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे। असफल नसबन्दी प्रकरणों में आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड /सूचना समय–समय पर प्राप्त कर समयावधि में भविष्य में प्रकरण भेजने की सुनिश्चिता करें।

2– चिकित्सा निदेशालय में कार्यरत विधि अनुभाग की कार्य व्यवस्था सुचारू/व्यवस्थित करने हेतु विधि अनुभाग में कार्यरत समस्त विधि अधिकारी एवं कर्मचारी, उप विधि परामर्शी के अधीन/पर्येवेक्षण में कार्य करेगें। उप विधि परामर्शी, विभागाध्यक्ष के अधीन/नियंत्राधीन होगें। विधिक राय उप विधि परामर्शी से ली जावे। उप विधि परामर्शी द्वारा अधीनस्थ की राय पर सहमति उपरांत राय विभागाध्यक्ष को दी जावे। अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन द्वारा अराजपत्रित मामलों में विधिक राय ली जा सकती है।

3– विधिक प्रकोष्ठ में कार्यरत विधिक सेवा/मंत्रालियक कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका उप विधि परामर्शी के पास ही रहे ताकि समय पर मोनिटरिंग हो। विधिक प्रकोष्ठ को समुचित स्टाफ, कम्प्यूटर, दूरभाष, फोटो स्टेट मशीन उपलब्ध कराया जावे।

4– **माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्तर से प्रत्येक माह में सुनिश्चित की जावे।**

5– **माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में समय पर अनुपालना जवाब/पेश हो। जिन–जिन प्रकरणों में जवाब पेश नहीं हुए है, उन सभी प्रकरणों में निदेशक की और से अर्द्धशासकीय पत्र जारी किया जावे। 30 जून,2017 तक सभी प्रकरणों में जवाब पेश होने की सुनिश्चिता की जावे। उक्त सूचना दिनांक 30.06.2017 तक भिजवाई जावे।**

6– 30 जून, 2017 तक प्रकरणों की सूचना/जवाब (अवमानना/अनुपालना लम्बित/DB/PIL) भेजें ताकि न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा की जा सके।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों की अक्षंरत पालना सुनिश्चित की जावे।

sd–
(वीनू गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3–निदेशक(जन स्वा/प0क0/ग्रा.स्वास्थ्य),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
4–अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
5–अतिरिक्त निदेशक(राजपत्रित/अराजपत्रित),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
6–उप निदेशक(राजपत्रित/अराजपत्रित),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।
7–उप विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–2) विभाग
8–उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी/कनिष्ठ विधि अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0जयपुर।

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

65
28/6/17

15

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–26/2017/ 404 दिनांक : 28/6/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान। समस्त
4. प्रभारी अधिकारी, लोकायुक्त/मानवाधिकार/आरटीआई अनुभाग, मुख्यालय।
5. समस्त कार्यालय अधीक्षक (संस्थापन/एटी/सीबी/डीपीसी) राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
6. समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को आज ही सम्बन्धित अधिकारियों की मेल आईडी पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।

28/6/17
अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिन्दगी चुनो तम्बाकू नहीं।